पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दुरभाषः 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 6031 /अका.का.प / 2018 रायपुर, दिनॉक, 21 22/03/2018

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की अड़तीसवीं बैठक बुधवार, दिनांक 28.03.2018 को पूर्वाह्न 3:00 बजे की विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 25.02.2018 एवं 09.03.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (पृ.क्र. 01 से 10 तक)
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 25.02.2018 एवं 09.03.2018 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

3. वित्तीय सत्र 2016–17 का वास्तविक आय–व्यय, 2017–18 का पुनरीक्षित आय–व्यय पत्रक एवं 2018–19 का अनुमानित आय–व्यय पत्रक में अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 11)

प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

4. डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त संचालक का याचिका अपील क्रमांक 558 / 2017 पर मान. उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2017 के आधार पर प्राप्त विधिक सहमति अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत। (पृ.क्र.12 से 16 तक)
5. विश्वविद्यालय के अधिवक्ताओं की सूची में श्री ऐश्वर्य सिन्हा, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के नाम शामिल किए जाने के संबंध में। (पृ.क्र. 17 से 18 तक)

गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

6. पुनर्मूल्यांकन में हुई अनियमितता की जाँच अधिकारी, श्री मोहन पवार, सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट, बंद लिफाफा को खोलना एवं उस पर विचार करना।

यांत्रीकी विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

7. बायोसाइंस अ.शा. में सेपरेट ट्रांसफार्मर लगाने के लिए छ.ग.रा.वि.वि. कम्पनी मर्यादित डी. डी. नगर जोन, रायपुर को राशि रु. 6,07,778 (शब्दों में छः लाख सात हजार सात सौ अठहत्तर रुपये मात्र) के भुगतान का अनुमोदन कर सूचना ग्रहण करना। (पृ.क्र. 19)
8. बेसिक साइंस सेन्टर में नये 3 फेस स्थायी विद्युत कनेक्शन का डिमांड नोट में देयक राशि रु. 14,29,209=00 (चौदह लाख उन्तीस हजार दो सौ नौ रुपये मात्र) के भुगतान की स्वीकृति एवं अनुमोदन के संबंध में। (पृ.क्र. 20 से 21 तक)
9. पावरग्रिड Boys hostel में नये 3 फेस स्थायी विद्युत कनेक्शन का डिमांड नोट में देयक राशि रु. 15,54,647=00 (पन्द्रह लाख चउवन हजार छः सौ सैंतालीस रुपये मात्र) के भुगतान की स्वीकृति एवं अनुमोदन के संबंध में। (पृ.क्र. 22)

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्तावः–

मूल विज्ञान केन्द्र –

10. मूल विज्ञान केंद्र हेतु Chemicals/Plasticwares/Glasswares/Euipments/Instruments क्रय किये जाने हेतु अनुमानित लागत रु. 20,17,925=00 (बीस लाख सत्रह हजार नौ सौ पच्चीस रुपये) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 23)

11. CBS के फिजिक्स लैब के लिये इंस्ट्रूमेंट सामग्री रु. 22,64,491=00 (बाइस लाख चौंसठ हजार चार सौ इंक्यानबे रुपये) निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 24)

12. CBS के लिये फर्निचर हेतु रु. 12,54,458=00 (बारह लाख चौवन हजार चार सौ अंट्ठावन रुपये) निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 25)

फार्मेसी संस्थान –

13. फार्मेसी संस्थान के प्रथम तल पर नवनिर्मित लैब एवं इंस्ट्रूमेंट लैब को मॉड्यूलर वर्क टॉप्स बनाये जाने हेतु अनुमानित लागत रु. राशि 8.00 लाख के व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

भौतिकी अध्ययनशाला –

14. DST Fist प्रोग्राम के अंतर्गत स्वीकृत राशि से भौतिकी अ.शा. के लिये कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, यू.पी.एस., प्रोजेक्टर आदि सामग्री क्रय किये जाने हेतु अनुमानित व्यय रु. 7,86,948=00 के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 26)

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

15. पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग. तथा स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई में संचालित पाठ्यक्रम से संबंधित स्वर्ण पदक को स्थानांतरित किए जाने के संबंध में अनुमति। (पृ.क्र. 27 से 33 तक)

16. निम्नांकित महाविद्यालयों में परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य पद पर नियुक्ति के संबंध में समिति की अनुशंसा (बंद लिफाफा) पर विचार करना।
    (i) गुरुकुल महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी
    (ii) रामचण्डी महाविद्यालय, सरायपाली, जिला–महासमुंद
    (iii) कला महाविद्यालय, जी–जामगांव, जिला–धमतरी
    (iv) रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सांई दरबार रोड, महादेवघाट, रायपुर

17. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

कुलसचिव

पृ.क्रमांक : 6032/अका.का.प/2018 रायपुर, दिनांक, 21/22/03/2018

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

क्रमांक:5926/अका./का.प./2018 रायपुर, दिनांक :06/03/2018

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की छत्तीसवीं* बैठक रविवार, दिनांक 25.02.2018 को मध्यान्ह 12:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती – सदस्य
2. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा – सदस्य
3. डॉ. के.एल. वर्मा – सदस्य
4. डॉ. सोम कुमार चटर्जी – सदस्य
5. श्री चन्द्र कुमार चन्द्राकर – सदस्य
6. डॉ. डी.एन. वर्मा – सदस्य
7. श्री एस.के. चक्रवर्ती – सदस्य
8. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता – सदस्य
9. प्रो. आर.पी. दीक्षित – सदस्य
10. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती – सदस्य
11. श्री नवीन मार्कण्डेय – सदस्य
12. श्री सत्यनारायण शर्मा – सदस्य

डॉ. संदीप वनसूत्रे कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 27.12.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

   निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.12.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।**

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 27.12.2017 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

   निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.12.2017 की बैठक के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण किया गया।**

3. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.01.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

   निर्णय : **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.01.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

<u>विकास विभाग से संबंधित प्रस्तावः–</u>

4. वार्षिक एवं पूरक परीक्षा के लिये निम्नानुसार उत्तर पुस्तिका का मुद्रण छ.ग. संवाद से संपादित कराये जाने हेतु अनुमोदनार्थ।

   मुख्य उत्तर पुस्तिका (24 पेज) – 10,00,000– @ 5.104 प्रति उत्तर पुस्तिका
   पूरक उत्तर पुस्तिका (16 पेज) – 6,00,000– @ 3.40 प्रति उत्तर पुस्तिका
   (छ.ग. संवाद का पत्र क्र. 5780/छ.ग.सं./प्रकाशन दिनांक 21.11.2017)

   निर्णय : **वार्षिक एवं पूरक परीक्षा के लिये निम्नानुसार उत्तर पुस्तिका का मुद्रण छ.ग. संवाद से संपादित कराये जाने हेतु अनुमोदन किया गया –**

मुख्य उत्तर पुस्तिका (24 पेज) – 10,00,000 – @ 5.104 प्रति उत्तर पुस्तिका
पूरक उत्तर पुस्तिका (16 पेज) – 6,00,000 – @ 3.40 प्रति उत्तर पुस्तिका

5. आगामी सत्र हेतु Pre & Post Examination works के लिये निविदा आमंत्रित किया गया है, की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : आगामी सत्र हेतु Pre & Post Examination works के लिये निविदा आमंत्रित किया गया है, की सूचना ग्रहण किया गया।

<u>समाजशास्त्र अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्तावः–</u>

6. समाजशास्त्र अध्ययनशाला का नाम परिवर्तित कर, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य अध्ययनशाला किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : दिनांक 25.09.2017 को समाजशास्त्र की विभागीय समिति के निर्णयानुसार समाजशास्त्र अध्ययनशाला का नाम परिवर्तित कर, 'समाजशास्त्र एवं समाजकार्य अध्ययनशाला' किये जाने का अनुमोदन किया गया।

<u>प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्तावः–</u>

7. शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में अंकित सभी प्रविष्टियों को संसूचित किये जाने से संबंधित छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 9–2/2008/1–6 दिनांक 16.12.2010 को अंगीकृत किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में अंकित सभी प्रविष्टियों को संसूचित किये जाने से संबंधित छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 9–2/2008/1–6 दिनांक 16.12.2010 को अंगीकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया।

8. राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक एवं पुलिस वीरता पदक व अन्य वीरता पदक प्राप्त अधिकारी/कर्मचारियों को छूट के संबंध में छ.ग. शासन गृह (सामान्य) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 7496/526/गृह–दो/विविध/2017 दिनांक 14.11.2017 के अनुसार पाठ्यक्रम में 5% आरक्षण एवं योग्यता परीक्षा पर न्यूनतम पात्रता अंकों में 5% रियायत दिये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक एवं पुलिस वीरता पदक व अन्य वीरता पदक प्राप्त अधिकारी/कर्मचारियों को छूट के संबंध में छ.ग. शासन गृह (सामान्य) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 7496/526/गृह–दो/विविध/2017 दिनांक 14.11.2017 के अनुसार पाठ्यक्रम में 5% आरक्षण एवं योग्यता परीक्षा पर न्यूनतम पात्रता अंकों में 5% रियायत दिये जाने का अनुमोदन किया गया।

9. विश्वविद्यालय के लिये स्वीकृत सेट–अप के तकनीकी अधिकारी एवं माइक्रोएनालिस्ट के पदों को परिनियम 20 में जोड़े जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के लिये स्वीकृत सेट–अप के तकनीकी अधिकारी एवं माइक्रोएनालिस्ट के पदों को परिनियम 20 में जोड़े जाने के लिये विश्वविद्यालय समन्वय समिति के अनुमोदन हेतु अनुशंसा की गई।

10. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.12.2017 के अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के न्यायालयीन प्रकरणों की सूचीबद्ध जानकारी सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **लंबित न्यायालयीन प्रकरण के लिए विधि प्रकोष्ठ बनाकर त्वरित निपटारा किये जाने हेतु कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।**

11. डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त, संचालक/प्रोफेसर का याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. (एस) क्रमांक 1845/2017 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर विधिक सहमति प्राप्त किया गया, जो अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत। (अपील क्र. 558/2017)

निर्णय : **डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त, संचालक/प्रोफेसर का याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. (एस) क्रमांक 1845/2017 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर डॉ. मेहता द्वारा डबल बेंच में सुनवाई हेतु अपील दायर करने के कारण अपील के फैसले के पश्चात् पुनः कार्यपरिषद् में अवलोकनार्थ एवं निर्देश हेतु प्रस्तुत किया जावे।**

<u>गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्तावः–</u>

12. अध्यादेश क्रमांक 05 की धारा 21 की उपधारा 06 (ए) के अंतर्गत अनुचित साधन निराकरण (UFM) समिति के गठन पर विचार करना।

(1) एक सदस्य – कार्यपरिषद् सदस्यों से

निर्णय : **परीक्षा सत्र 2017–18 के लिए अनुचित साधन निराकरण समिति में कार्यपरिषद् की ओर से श्री नरेश चन्द्र गुप्ता को एक सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया।**

13. Question Paper Pattern बदलने के कारण Question Paper Reform Committee द्वारा प्रस्तावित पारिश्रमिक के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **Question Paper Pattern बदलने के कारण Question Paper Reform Committee द्वारा प्रस्तावित पारिश्रमिक के संबंध में निर्णय लिया गया कि इसके साथी ही अन्य पारिश्रमिक में परिवर्तन हेतु परीक्षण करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गई –**

1. **डॉ. के.एल. वर्मा, (संयोजक)**
   आचार्य, साहित्य एवं भाषा विज्ञान अध्ययनशाला
2. **डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, (सदस्य)**
   आचार्य, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर
3. **डॉ. सोम कुमार चटर्जी, (सदस्य)**
   प्राचार्य, शास. नारायण राव मेघावले कन्या महावि. धमतरी

समिति के द्वारा परीक्षण कर प्रस्तुत प्रतिवेदन आगामी कार्य परिषद् में विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे।

कम्प्यूटर अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्तावः–

14. विश्वविद्यालय सर्वर AMC कार्य हेतु फर्म मेसर्स Key Computer Nagpur को कार्यादेश जारी करने के संबंध में।

निर्णय : **विश्वविद्यालय सर्वर AMC कार्य हेतु फर्म मेसर्स Key Computer Nagpur को कार्यादेश जारी किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

15. च्वाइस बेस्ड पाठ्यक्रम के विनियम का अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय : **च्वाइस बेस्ड पाठ्यक्रम के विनियम का अनुमोदन किया गया।**

16. कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में समिति की अनुशंसा (बंद लिफाफा) पर विचार करना।

निर्णय : **कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, रायपुर में परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा अनुशंसित डॉ. रूपाली चौधरी का अनुमोदन किया गया।**

पूरक विषयसूची

1. पुस्तकों (Print & E-Books) के क्रयार्थ प्राप्त दर के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

[1] **पुस्तकों (Print) के लिये त्रिपाठी बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, इलाहाबाद द्वारा प्रस्तुत छूट (Discount) के आधार पर पुस्तकें क्रय हेतु निम्नानुसार अनुमोदन किया गया –**

i. Indian Publication Pb 26%
ii. Indian Publication Hb 42%
iii. Foreign Publication 37.50%

[2] **E-Books के लिये निम्नांकित तालिका अनुसार अधिकतम छूट (Discount) प्रतिशत दर अर्थात क्रयार्थ न्यूनतम दर पर कॉलम 8 पर दर्शाये प्रकाशकों/अधिकृत फर्मो से क्रय की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया –**

Sr. No.	E-Books	Discount					L1 Bidder
		Pick & Choose		Package			
		Disc (%)		No of Books	Disc (%)		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	5	6	[illegible]	[illegible]
1	Oxford University Press Online Books	50.00	Fifty	x	x	x	Allied Publishers Subscription Agency, Mumbai
		x	x	1736	35.00	Thirty Five	Balani Infotech Pvt Lt.d, Noida.

2	Wiley online Books	5.00	Five	1538	25.00	Twenty Five	Balani Infotech Pvt Lt.d, Noida.
3	Cambridge University press	10.00	Ten	13241	15.00	Fifteen	Balani Infotech Pvt Lt.d, Noida.
4	Springer	x	x	x	60.00	Sixty	Allied Publishers Subscription Agency, Mumbai
5	Elsevier	30.00	Thirty	958	35.00	Thirty Five	Balani Infotech Pvt Lt.d, Noida.
6	Sage Publications	30.00	Thirty	n a	n a		Allied Publishers Subscription Agency, Mumbai
		nil	nil	269	30.00	Thirty	Balani Infotech Pvt Lt.d, Noida.
7	CRC Press	10.00	Ten	x	30.00	Thirty	Balani Infotech Pvt Lt.d, Noida.
8	TMH	x	x	2802	50.00	Fifty	Balani Infotech Pvt Lt.d, Noida.
9	PHI	x	x	x	x	x	x
10	Pearsons	0.50	Point five zero	4247	0.50	Point five zero	Total Library Solutions (India) Pvt. Ltd., New Delhi
11	Orient Black Swan	x	x	x	x	x	x
12	Others (Please Specify)						
12.1	ACS Publications	x	x	x	x	x	x
12.2	IG Publications Buss. Expert	40.00	Fourty	660	85.00	Eighty	Balani Infotech Pvt Lt.d, Noida.
	IG Publications Momentum	40.00	Fourty	311	70.00	Seventy	Balani Infotech Pvt Lt.d, Noida.
12.3	Taylor Francis	0.50	Point five zero	6952	0.50	Point five zero	Total Library Solutions (India) Pvt. Ltd., New Delhi
12.4	American Psychological Association	nil	nil	473	nil	nil	Balani Infotech Pvt Lt.d, Noida.
12.5	Edward Elger	5.00	Five	3238	50.00	Fifty	Balani Infotech Pvt Lt.d, Noida.
12.6	Siam			460	10.00	Ten	Balani Infotech Pvt Lt.d, Noida.
12.7	IGI	30.00	Thirty	3400	55.00	Fifty five	Balani Infotech Pvt Lt.d, Noida.

2. स्वामी विवेकानन्द चेयर प्रोफेसर की सेवा अवधि में वृद्धि करने के संबंध में डॉ. ओ.पी. वर्मा के आवेदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्र. **F.No. 22-4/2016 (FD-1/B)** दिनांक 09 जून 2017 के अनुसार स्वामी विवेकानंद चेयर प्रोफेसर के पर नियुक्त डॉ. ओ.पी. वर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर का कार्यकाल दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक सेवावृद्धि किये जाने का अनुमोदन किया गया।

3. डॉ. आर.के. अग्रवाल, उप कुलसचिव (संविदा) को उप कुलसचिव के रिक्त पद के विरूद्ध संविदा सेवावृद्धि दिनांक 17.02.2018 से 30.04.2018 तक के संबंध में।

निर्णय : डॉ. आर.के. अग्रवाल, उप कुलसचिव (संविदा) को उप कुलसचिव के रिक्त पद के विरूद्ध संविदा सेवावृद्धि 70 वर्ष की आयु तक की अवधि के लिये दिनांक 17.02.2018 से 30.04.2018 तक किये जाने का अनुमोदन किया गया।

4. श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री (संविदा) को विश्वविद्यालय यंत्री के रिक्त पद के विरूद्ध संविदा सेवावृद्धि 19.02.2018 से आगामी 1 वर्ष या छ.ग. शासन द्वारा इस पद पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति तक जो भी पहले हो के लिए संविदा सेवा में वृद्धि के संबंध में।

निर्णय : श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री (संविदा) को विश्वविद्यालय यंत्री के रिक्त पद के विरूद्ध संविदा सेवावृद्धि 19.02.2018 से आगामी 1 वर्ष या छ. ग. शासन द्वारा इस पद पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति तक जो भी पहले हो के लिए संविदा सेवा में वृद्धि का अनुमोदन किया गया।

5. वार्षिक परीक्षा 2017–18 हेतु केन्द्र अग्रिम राशि रुपये 86,95000.00 (छियासी लाख पंच्यानबे हजार रुपए) का अनुमोदन।

निर्णय : वार्षिक परीक्षा 2017–18 हेतु केन्द्र अग्रिम राशि रुपये 86,95000.00 (छियासी लाख पंच्यानबे हजार रुपए) का अनुमोदन किया गया।

6. वर्ष 2018 की परीक्षाओं के लिये गोपनीय मुद्रण के लिए मुद्रक के अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय : वर्ष 2018 की परीक्षाओं के लिये गोपनीय मुद्रण के लिए मुद्रक का अनुमोदन किया गया।

7. विकास शिक्षा महाविद्यालय, देवपुरी, फुंडहर मार्ग, डूमरतराई, रायपुर के प्राचार्य, डॉ. टी.के. साहू के प्राचार्य के पद से त्याग पत्र की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विकास शिक्षा महाविद्यालय, देवपुरी, फुंडहर मार्ग, डूमरतराई, रायपुर के प्राचार्य, डॉ. टी.के. साहू के प्राचार्य के पद से त्याग पत्र की सूचना ग्रहण किया गया।

8. वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंकेक्षण शुल्क की राशि रु. 8,57,030=00 के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

निर्णय : वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंकेक्षण शुल्क की राशि रु. 8,57,030=00 के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

9. कार्यपरिषद् के बैठक दिनांक 27.12.2017 के निर्णयानुसार सोलर पावर प्लांट सिस्टम के स्थापना के संबंध में।

निर्णय : चुँकि यह प्रकरण मान. कार्यपरिषद् के समक्ष पहली बार लाया गया था अतः कार्यपरिषद् द्वारा औचित्यगत एवं प्रक्रियागत परीक्षण किया जावेगा एवं बजट की उपलब्धता अर्थात नस्ती के Notesheet Page No. 5 में उल्लेखित RUSA से राशि उपलब्ध होने पर, इस पर विचार किया जाएगा।

10. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.02.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.02.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण

1. श्रीमती प्रमिला गोकुल दास डागा कन्या महाविद्यालय, रायपुर में प्रभारी प्राचार्य के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : श्रीमती प्रमिला गोकुल दास डागा कन्या महाविद्यालय के संबंध में निर्णय लिया गया कि मान. उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.01.2018 के अनुसार महाविद्यालय प्राचार्य की नियुक्ति अविलंब करे।

आगामी वार्षिक परीक्षा के शांतिपूर्वक संचालन के लिये विश्वविद्यालय Examination Superintendent के साथ पुरी टीम की व्यवस्था करेगा। महाविद्यालय के प्रबंध समिति के सचिव एवं कार्यपरिषद् सदस्य श्री नरेशचंद्र गुप्ता जी वार्षिक परीक्षा के समय शांति व्यवस्था के लिये संपूर्ण जवाबदारी के लिये आश्वासन (Assurance) दिया है।

2. इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार दी आर्ट्स नई दिल्ली के साथ MOU की गई की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार दी आर्ट्स नई दिल्ली के साथ MOU की गई की सूचना ग्रहण किया गया।

3. विश्वविद्यालय के कोटा स्टेडियम खेल परिसर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जीर्णोद्धार कर एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रेक एवं अन्य खेल के मैदान निर्मित किया गया है एवं इसका नामकरण स्वामी विवेकानन्द स्टेडियम कोटा के साथ खेल परिसर का नाम पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय खेल परिसर–2 रखे जाने पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के कोटा स्टेडियम खेल परिसर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जीर्णोद्धार कर एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रेक एवं अन्य खेल के मैदान निर्मित किया गया है एवं इसका नामकरण स्वामी विवेकानन्द स्टेडियम कोटा के साथ खेल परिसर का नाम पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय खेल परिसर–2 रखे जाने हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग को पत्र प्रेषित किया जावे।

4. **शिक्षकों के रिक्त पदों एवं केरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति के लिए गठित चयन समिति के द्वारा दिनांक 27.01.2018 को आयोजित साक्षात्कार में की गई अनुशंसा संबंधी लिफाफे खोले गये तथा नियुक्ति हेतु मान्य किया गया –**

Interview Date	Subject	Post	Name	With effect From
27-01-2018	Biotechnology	Assistant Professor Stage 2 to 3 (CAS)	Dr. Kamlesh Shukla	15-09-2017
		Assistant Professor Stage 2 to 3 (CAS)	Dr. Afaque Quraishi	15-09-2017
		Assistant Professor Stage 1 to 2 (CAS)	Dr. Nagendra Kumar Chandrawanshi	08-11-2016

अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक:5927 /अका./का.प./2018 रायपुर, दिनांक :06 /03/2018

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

NAAC ACCREDITED "A"

क्रमांकः 5952/अका./का.प./2018 रायपुर, दिनांक : 9/03/2018

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की सैंतीसवीं* (आपातिक) बैठक शुक्रवार, दिनांक 09.03.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती – सदस्य
2. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा – सदस्य
3. डॉ. बशीर हसन – सदस्य
4. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव – सदस्य
5. डॉ. के.एल. वर्मा – सदस्य
6. डॉ. एच.के. पाठक – सदस्य
7. डॉ. सोम कुमार चटर्जी – सदस्य
8. डॉ. चन्द्रशेखर चौबे – सदस्य
9. डॉ. नरेन्द्र पटनायक – सदस्य
10. डॉ. डी.एन. वर्मा – सदस्य
11. श्री नरेशचन्द्र गुप्ता – सदस्य
12. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती – सदस्य
13. श्री सत्यनारायण शर्मा – सदस्य

डॉ. संदीप वनसूत्रे कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

01. श्रीमती प्रमिला गोकुल दास डागा कन्या महाविद्यालय, रायपुर में आगामी परीक्षा संचालन एवं शिक्षा व्यवस्था पर विचार करना।

निर्णय :श्रीमती प्रमिला गोकुल दास डागा कन्या महाविद्यालय, रायपुर की सत्र 2017–18 की समस्त परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा वि.वि. परिसर में संचालित की जावेगी। मुख्य केन्द्राध्यक्ष के निर्देशानुसार एवं आवश्यकतानुसार परीक्षा के सफल संचालन हेतु व्यवस्था की जाएगी। प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला प्रशासन से निवेदन किया जावे।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 36वीं बैठक रविवार दिनांक 25 फरवरी, 2018 के कार्यवृत्त में संशोधन हेतु।

निर्णय : मान. श्री सत्यनारायण शर्मा, कार्यपरिषद् सदस्य, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का पत्र क्र. 1104 दिनांक 08.03.2018 को संज्ञान में लेते हुए कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2018 की बैठक के कार्यवृत्त के अध्यक्ष के अनुमति से बिन्दु क्रमांक 1 में समावेश करते हुए निम्नानुसार संशोधन का अनुमोदन किया गया –

(1) कार्यपरिषद् के सदस्य, श्री नरेशचन्द्र गुप्ता, जो कि महाविद्यालय प्रबंध समिति के सचिव हैं, ने महाविद्यालय के संबंध में हो रही चर्चा से अपने को अलग रखा।

D:\back\shital\MEETINGS\karya-parishad\MINUTS\02_Minutes EC 09-03-2018.docx

(2) परन्तु मान. सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा जी ने कार्यवाही विवरण में उक्त महाविद्यालय में श्री नरेशचन्द्र गुप्ता के द्वारा "परीक्षा के समय शांति व्यवस्था की संपूर्ण जवाबदारी" की बात नहीं कही थी, अपितु –

(3) श्री नरेशचन्द्र गुप्ता जी ने कार्यपरिषद् को यह आश्वस्त किया था कि महाविद्यालय प्रबंधन विश्वविद्यालय को परीक्षा के संचालन में संपूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांकः 5953/अका./का.प./2018 रायपुर, दिनांक : 9/03/2018

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

D:\back\shital\MEETINGS\karya-parishad\MINUTS\02_Minutes EC 09-03-2018.docx

<u>कार्यपरिषद् के लिए टीप</u>

वित्तीय वर्ष 2016–17 वास्तविक आय–व्यय पत्रक, वित्तीय वर्ष 2017–18 पुनरीक्षित आय–व्यय पत्रक एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 अनुमानित आय–व्यय पत्रक , वित्त समिति के अनुमोदन पश्चात् माननीय कार्यपरिषद् के विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना ।

22.3.18
SO (F)

विषय क्रमांक :— डॉ. बी. के. मेहता, सेवानिवृत्त निर्देशक एवं आचार्य तथा संचालक, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान के प्रकरण पर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.10.2014 के विषय क्रमांक 05 में लिये गये निर्णय को, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 1845/2017 में पारित आदेश दिनांक 15/11/2017 के माध्यम से अपास्त किया जाकर, कार्यपरिषद को पुनः डॉ. बी. के. मेहता की निलंबन तिथि दिनांक 08.11.2005 से सेवानिवृत्ति के दिनांक 31.12.2008 की अवधि के वेतन के भुगतान के संबंध में निर्णय लेने हेतु आदेशित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश पर रिट अपील क्रमांक 558/2017 युगल पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसमें दिनांक 28/2/2018 को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर की युगल पीठ के द्वारा भी कार्यपरिषद के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर कार्यपरिषद के निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निदेश दिये गये है। अतः उपरोक्त आदेशों के संदर्भ में प्रकरण पर पुनः विचार करना।

निर्णय :— विश्वविद्यालय के द्वारा डा0 बी. के. मेहता को दूरवर्ती शिक्षा संस्थान के निदेशक के पद पर नियुक्ति किया गया था। उक्त पद पर रहते हुये इनके द्वारा गंभीर कदाचरण के कृत्य कारित किये जाने पर कार्यपरिषद के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 08.11.2005 के माध्यम से डॉ बी. के मेहता को दूरवर्ती शिक्षा संस्थान में अनियमितताओं तथा कर्त्तव्य निर्वाह में घोर उपेक्षा करने के आरोप में निलंबित किया गया था। तदोपरांत उन्हें विश्वविद्यालय के द्वारा आरोप पत्र दिया गया था जिसमें डॉ बी. के मेहता पर मुख्यतः यह आरोप थे कि,

1. He opened the distance education programme even before the resolution dated 2.1.2004 passed by the Executive Council of the University,
2. He allowed the Study centers outside the state,
3. He commenced the courses without obtaining permission from Distance Education Council,
4. He did not prepare the study materials for different courses

and did not obtain approval of the same;

5. He did not control the mass copying; breach of confidentiality; appearance of proxy examinees etc. during the examination conducted in the study centres ;
6. He got published such news items in the print and electronic media, which has tarnished the image of the University;
7. He did not provide study materials and the courses to the study centers well in advance.

चूँकि वि0वि0 की ओर से जारी उक्त आरोप पत्र पर हस्ताक्षर वि0 वि0 के कुलसचिव के द्वारा किये गये थे, जिसके संबंध में डॉ बी. के मेहता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 1730/2006 प्रस्तुत कर, विश्वविद्यालय के कुलसचिव के हस्ताक्षर से जारी आरोप पत्र को चुनौती इस आधार पर प्रस्तुत की गई थी कि, उनकी नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी वि0 वि0 की कार्यपरिषद है। अतः आरोप पत्र जारी कर, उनकी जॉच करने का क्षेत्राधिकार मात्र वि0 वि0 की कार्यपरिषद को है। कुलसचिव को आरोप पत्र जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। डॉ बी. के. मेहता की उक्त याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 05/06/2006 के आदेश के माध्यम से विभागीय जॉच जारी रखने किन्तु कोई अंतिम निर्णय न लिये जाने का आदेश पारित किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के प्रकाश में विभागीय जॉच उपरांत, जॉच अधिकारी के निष्कर्ष वि0 वि0 की कार्यपरिषद प्राप्त होने के पश्चात् भी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। इसी दौरान दिनांक 31.12.2008 को उनकी अर्धवार्षिक आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण डॉ बी. के. मेहता, विश्वविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे। डॉ0 बी. के. मेहता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित रिट याचिका पर दिनांक 01.09.2014 को अंतिम आदेश पारित करते हुये, वि0 वि0 के कुलसचिव के हस्ताक्षर से जारी आरोप पत्र को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, कुलसचिव के क्षेत्राधिकार के संबंध में निर्णय देते हुये अपास्त किया गया था। उक्त आदेश के अंतिम पैरा में यंह भी उल्लेखित किया गया था कि, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विभागीय जॉच को उसके गुण दोष के आधार पर अपास्त

नहीं किया जा रहा है एवं विश्वविद्यालय को यह अधिकार है कि वह विधि के अनुसार विभागीय जॉच संस्थित कर सकती है।

ततपश्चात् डा0 बी. के. मेहता के पेंशन एवं देय स्वत्वों के निर्धारण बावत् प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कार्यपरिषद के द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 61 में दिये गये प्रावधानानुसार, इनके प्रकरण एवं आवेदनों पर पूर्णता समग्र रुप से सहानुभूतिपूर्वक एवं उदारतापूर्वक विचार करते हुये दिनांक 28.10.2014 को निर्णय लिया गया था। जिसे इन्होंने पुनः माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 1845/2017 के माध्यम से चुनौती दी गई थी। जिस पर विश्वविद्यालय का पक्ष सुनने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 15/11/2017 को आदेश पारित करते हुये प्रकरण में " No work No pay" का सिद्धॉत लागू न होने के कारण प्रकरण को पुन : कार्यपरिषद के समक्ष नये सिरे से निर्णय हेतु आदेशित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश क विरुद्ध डा0 बी. के. मेहता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की युगल पीठ के समक्ष रिट अपील नं0 558/2017 प्रस्तुत की गई है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय की युगल पीठ के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15/11/2017 के प्रकाश में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के द्वारा 3 सप्ताह में निर्णय लेते हुये, उक्त निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय की युगल पीठ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त दोनो आदेश क परिपालन में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के द्वारा, डॉ0 बी. के. मेहता के प्रकरण पर पुनः विचार करने हेतु डॉ0 बी. के. मेहता से संबंधित समस्त सेवा अभिलेख, दिये गये आरोप पत्र, विभागीय जॉच के से संबंधित समस्त अभिलेख, रिकार्ड में उपलब्ध जॉच प्रतिवेदन जिसमें गभीर कदाचरण के आरोप को प्रमाणित पाय गय है का अवलाकन किया गया, चूँकि आरोप पत्र को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कुलसचिव के हस्ताक्षर से जारी होने के कारण से तकनीकी आधार पर उसे त्रटिपूर्ण माना था, उक्त निर्णय के प्रकाश में इस प्रकरण में पुनः विचार किये जाते समय पूर्व की भॉति ही विभागीय जॉच प्रतिवेदन को कार्यपरिषद के द्वारा संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, अपितु उसके अतिरिक्त

रिकाड में उपलब्ध अन्य समस्त सेवा अभिलेखों, दस्तावेजों का समग्र रुप से अध्ययन एवं प्रकरण पर व्यापक विचार विमर्श करने के पश्चात् विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद का यह स्पष्ट मत ह कि, चूँकि डा0 बी. के. मेहता के द्वारा कारित कदाचरण के कुत्यों के कारण ही इन्हें विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के निर्णय के आधार पर निलंबित किया गया था, तथा निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार, अधिकतम राशि/स्वत्वों का भुगतान भी नियमानुसार किया गया था। इनके गंभीर कदाचरण के कृत्य के कारण विश्वविद्यालय को न केवल आर्थिक क्षति अनावश्यक रुप से वहन करनी पड़ी है, अपितु विश्वविद्यालय की साख को भी गंभीर रुप से इनके द्वारा क्षति पहुॅचीयी गई थी।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.09.2014 में इन्हें स्वच्छ निर्दोष घोषित नहीं किया गया था और न ही विभागीय जॉच पर गुण–दोष के आधार पर कोई निष्कर्ष प्रदान किया गये है। अपितु विश्वविद्यालय को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह विधि के अनुसार विभागीय जॉच की कार्यवाही पुनः संस्थित कर सकती है। डॉ बी. के. मेहता को निलंबित किये जाने का आदेश दिनांक 08.11.2005 को विश्वविद्यालय के द्वारा कार्यपरिषद के आदेशानुसार जारी किया गया था। उक्त निलंबन आदेश इनकी सेवा निवृत्ति दिनांक तक प्रभावशील रहा है। डॉ बी. के. मेहता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय के कुलसचिव के हस्ताक्षर से जारी आरोप पत्र के संबंध में याचिका प्रस्तुत की थी। कार्यपरिषद के द्वारा निलंबन हेतु लिये गये निर्णय को अपास्त किये जाने का कोई आदेश, सक्षम प्राधिकारी या माननीय न्यायालय का इस संबंध में कोई निर्णय रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। अतः आदेश दिनांक 08.11.2008 क विधि मान्य न होने के संबंध में डा0 बी. के. मेहता के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कार्यपरिषद जो कि नियुक्तिकर्त्ता पाधिकारी है, डॉ बी. के. मेहता के प्रकरण में रिकार्ड में उपलब्ध अभिलेख, दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर इन्हें गंभीर कदाचरण के संबंध में निर्दोष नहीं पाती है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी इन्हें स्वच्छ निर्दोष (Clean acquittal) घोषित नहीं किया गया है अपितु तकनीकी कारणों से मात्र आरोप पत्र को अपास्त किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.09.2014 पर

विचारोपरांत कार्यपरिषद ने यह पाया था कि, तत्समय डॉ. बी. के मेहता को सेवानिवृत्त हुये 6 वर्ष से अधिक का समय हो गया है तथा वे 68 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके है। उनके गंभीर कदाचरण के कृत्य के कारण विश्वविद्यालय को हुई आर्थिक एवं साख की क्षति की प्रतिपूत्ति किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उनकी वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुये प्रकरण का निराकरण उदारतापूर्वक किय जाने का निर्णय लेते हुये, इनकी सेवा निवृत्त तिथि पर नियमानुसार उनके वेतन का निर्धारण कर नियमानुसार पेंशन भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 31.12.2014 के द्वारा डॉ0 बी. के. मेहता का निलंबन दिनांक 31.12.2008 से समाप्त करते हुये नियमानुसार कार्यवाही की गई थी।

कार्यपरिषद का यह स्पष्ट मत है कि, यदि पकरण क तथ्या एवं साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता तो, डा0 बी0 के0 मेहता के कदाचरण के कृत्य प्रमाणित हो रहे थे एवं प्रकरण की पुनः विभागीय जॉच कराने की स्थिति में जॉच प्रतिवेदन पर कार्यपरिषद को विश्वविद्यालय परिनियम 31 में वर्णित दण्ड से दण्डित करने क संबंध में विचार करना पड़ेगा, जिसके कारण प्रकरण में रिकवरी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जिससे डॉ0 बी. के. मेहता को वर्तमान में दिये जा रहें सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित होना भी पड़ सकता है। अतः एक दशक पूराने प्रकरण पर पुनः विभागीय जॉच कराना उचित नहीं है। चूँकि निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार राशि/स्वत्वों का भुगतान वि0 वि0 के द्वारा किया गया है तथा इनकी पेंशन इत्यादि का निर्धारण किया जा सके इस हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा कभी उदारतापूर्वक विचार करते हुये इनका निलंबन मानवीय आधार एवं उनकी वृद्धावस्था को देखते हुये समाप्त किया गया था जिससे इनको सेवानिवृत्त दिनांक से अन्य समस्त सेवाहितों का लाभ प्राप्त हो सके। उपरोक्त कि स्थिति कार्यपरिषद का यह मत ह कि, डा0 बी. के. मेहता के निलंबन की अवधि में उन्हें भुगतान की जा चुकी राशि/स्वत्वों के अतिरिक्त अन्य कोई लाभ दिये जाने की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

ASHWARYA SINHA

ADVOCATE ON RECORD
SUPREME COURT OF INDIA

Chamber No.1, C.K. Daphtary Block, Supreme Court of India, Tilak Lane,
New Delhi –110001 Tel-Fax: 011-23388149
Email: ashwarya.sinha@gmail.com

Date: 24.2.2018

To

The Registrar
Pt. Ravishankar Shukla University
Amanaka G.E.Road, Raipur
Chhattisgarh (India) – 492010

Respected Sir,

As desired please find enclosed my C V.

Thanking you,

Yours sincerely,

(**Ashwarya Sinha**)

Delhi Office: A-408, Defence Colony, Lower Ground Floor, New Delhi-110024,
Tel: 011-41618119; Mobile: +91 9818911510;
Noida Office: C-25, Sector-14, Noida, Uttar Pradesh–201301,
Tel: 0120-4273450, Fax: 0120-4273453

18

MR. ASHWARYA SINHA

Advocate-on-Record
Chamber No. 1, C.K. Daphtary Block,
Tilak Lane (Opp. Supreme Court).
New Delhi-110001,
Ph: 011 23388149

Contact Details:
Resi./office: C-25, Sector 14
Noida, U.P.- 201301
Mobile : +91 9818911510,
Ph: 0120 4273450/53
office@ashwaryasinha.com
ashwarya.sinha@gmail.com

SPECIALITIES

Banking and Commercial Laws, Constitutional Law, Education Law, Mining Law, Consumer Law, Service Law, Property Law, Real Estate, Company and Insolvency Law

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS

Currently	Independently practising/arguing matters at the Supreme Court/ Delhi/Rajasthan/ Madhya Pradesh/ Chhattisgarh/ Allahabad High Court/DRT/Consumer forums/Competition Commission of India/ National Company Law Tribunal and other Tribunals such as Electricity /Mines/ National Green Tribunal for the past 10 years. Life member of the Supreme Court Bar Association; Member, Delhi High Court Bar Association.
March 2014	Certified as an Advocate-on-Record of Supreme Court of India
May 2008	Enrolled in the Bar Council of Delhi on 14.5.2008 vide Enrolment no. D 587/2008
Mar, 2008	B.A. /B. Sc. LLB (Hons.), The National University of Juridical Sciences [NUJS], Kolkata, West Bengal
Mar., 2003	Central Board of Secondary Education [Class XII - Commerce], Delhi Public School, R.K. Puram

Company Panels/ Retained Counsel

- Delhi Development Authority
- Airport Authority of India Ltd.
- Steel Authority of India Ltd.
- Sri RamChandra University
- Coal India Limited
- Bharat Heavy Electricals Ltd.
- Steel Authority of India Ltd.
- UCO Bank
- State Bank of India
- Competition Commission of India
- South Eastern Coal Field Limited
- Aditya Birla Chemicals Pvt. Ltd.
- Columbia Sportswear Company, USA
- Lockheed Martin Inc., USA

Amongst others.

(7)

(19)

विषयः— बायोसांइस अ.शा. में सेपरेट ट्रांसफार्मर लगाने के लिए छ.ग.रा.वि.वि. कपंनी मर्यादित डी.डी. नगर जोन, रायपुर को किए गए भुगतान की सूचनार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

बायोसांइस अ.शा. में सेपरेट ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कार्य किया जाना आवश्यक है। इस अ.शा. में प्रायोगिक एंव शोध कार्य के लिए ऐसे उपकरण है जिसके लिए अधिक विद्युत पावर की आवश्यकता होती है। वर्तमान में उक्त अ.शा. में 06 नग विद्युत मीटर लगा हुआ है जिसे एकांकी कर सेपरेट ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय यांत्रिकी विभाग द्वारा अ.शा. का निरीक्षण कर सेपरेट ट्रांसफार्मर लगाने के लिए छ.ग.रा.वि.वि. कपंनी मर्यादित डी.डी. नगर जोन, रायपुर को आवेदन किया गया था इस आवेदन के आधार पर छ.ग.रा.वि.वि. कपंनी मर्यादित डी.डी. नगर जोन, रायपुर से राशि रु. 6,07,778/— (शब्दो में रु. छः लाख सात हजार सात सौ अठहत्तर मात्र) का डिमाण्ड नोट प्राप्त हुआ था। उक्त भवन में शीघ्र कार्य प्रांरभ करने के लिए डिमाण्ड नोट के अनुसार राशि रु. 6,07,778/— (शब्दो में रु. छः लाख सात हजार सात सौ अठहत्तर मात्र) भुगतान किया गया है।

माननीय कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

22/03/18

20

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड रायपुर

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
(छ.रा.वि.मं. की एक उत्तरदायी कंपनी)

क./सहा.सं./डी.डी.नगर जोन/राजस्व/940

रायपुर दिनांक 12/03/18

प्रति,

श्रीमान कुलसचिव,
पं. र.शं.शु.वि.वि. रायपुर (छ.ग.)

विषय :– आपके विभाग द्वारा प्राप्त डिमाण्ड नोट का संशोधित डिमाण्ड नोट प्रदान करने बाबत्।
संदर्भ :– आपका पत्र क. 113/यांत्रिकी/2017 दिनांक 04.10.2017
एवं क. 114/यांत्रिकी/2017 दिनांक 04.10.2017।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय के आवेदानुसार निम्न डिमाण्ड नोट जारी हुये है :–

कमांक	भवन का नाम	प्रस्तावित विद्युत भार	डिमाण्ड नोट क./तिथि	डिमाण्ड नोट में अंकित राशि रू.
01	पावरग्रिड हॉस्टल	3 फेस कनेक्शन 16.5 किलोवाट	78–035–5146–0023 दिनांक 25.09.2017	1554647/–
02	बेसिक सांईस सेंटर	3 फेस कनेक्शन 22 किलोवाट	79–035–5146–0022 दिनांक 06.09.2017	1429209 /–

उक्त डिमाण्ड नोट विद्युत सप्लाई कोड–2013 के क्लॉज 4.51 एवं 4.52 के अनुसार तकनीकी उपलब्धता के अनुरूप प्राक्कलन तैयार कर, आवश्यक स्वीकृति के पश्चात् ही जारी किया गया है। अतः उक्त डिमाण्ड नोट में किसी भी प्रकार का संशोधन सम्भव नही है, कृपया डिमाण्ड नोट का यथाशीघ्र भुगतान करें ताकि आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जा सके।

मुरारी श्रीहरि (4450812)
सहायक यंत्री
डी.डी नगर जोन (न.सं.प.)
छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि. रायपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि :– 01. श्रीमान कार्यपालन यंत्री, न.स.प., छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि. रायपुर।

सही

मुरारी श्रीहरि (4450812)
सहायक यंत्री
डी.डी नगर जोन (न.सं.प.)
छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि. रायपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

यांत्रिकी विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail – adm.prsu@yahoo.in

(21)

क्रमांक 113 / यांत्रिकी / 2017 रायपुर, दिनांक 05 / 10 / 2017

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित,
पश्चिम संभाग, डंगनिया, रायपुर (छ.ग.)

विषयः– आपके विभाग द्वारा प्राप्त डिमाण्ड नोट का संशोधित डिमाण्ड नोट प्रदान करने बाबत्।

विषयांतर्गत यह है कि विश्वविद्यालय के आवेदन अनुसार निम्न डिमाण्ड नोट प्राप्त हुआ है। जो निम्नानुसार है–

कंमाक	भवन का नाम	प्रस्तावित विद्युत भार	डिमाण्ड नोट कं./तिथि	डिमाण्ड नोट में अंकित राशि रु.
01	पावरग्रिड हॉस्टल	3फेस कनेक्शन 16.5 किलोवाट	78–035–5146–17–0023 दिनॉक 25/09/2017	15,54,647/–
02	बेसिक सांइस सेन्टर	3फेस कनेक्शन 22 किलोवाट	78–035–-5146–17–0022 दिनॉक 06/09/2017	14,29,209/–

अतः उपरोक्तानुसार डिमाण्ड नोट में अंकित राशि बहुत अधिक है। जिसे पुनः चेककर संशोधित डिमाण्ड नोट प्रदान करने का कष्ट करें ताकि अतिशीघ्र भुगतान किया जा सकें।

कुलसचिव
पं.र.शं.शु.वि.वि. रायपुर(छ.ग.)
रायपुर, दिनांक 05 / 10 / 2017

पृ. क्रमांक 114 / यांत्रिकी / 2017

प्रतिलिपि :–

1. कुलपति जी के सचिव, पं.र.शं.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ ।
2. कुलसचिव महोदय के निज सहायक, पं.र.शं.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ ।
3. सहायक अभियंता छ.ग.रा.वि.वि.कम्पनी मर्यादित डी.डी.नगर जोन, रायपुर।

कुलसचिव
पं.र.शं.शु.वि.वि. रायपुर(छ.ग.)

F:\Thakur Sir\Prud Powergrid Vidut 4 (04.10.17).Docx

22

विषयः— पावरग्रिड ब्यांस हास्टल में नये 3 फेस स्थायी विद्युत कनेक्शन का डिमाण्ड नोट राशि का भुगतान बाबत्।

पावरग्रिड ब्यांस हास्टल में स्थायी विद्युत कनेक्शन नही है, चुकि वर्तमान में अस्थायी विद्युत कनेक्शन किया गया है। छात्रावास में निवासरत छात्रों को पर्याप्त विद्युत व्यवस्था नही होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप होता ही रहता है अतः उक्त भवन के लिए 3 फेस विद्युत कनेक्शन कराने के लिए छ.ग.रा.वि.वि. कंपनी मर्यादित डी.डी. नगर जोन, रायपुर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका डिमाण्ड नोट राशि रु. 15,54,647/— (पन्द्रह लाख चउवन हजार छः सौ सैतालीस मात्र) की छ.ग.रा.वि.वि. कंपनी मर्यादित डी.डी. नगर जोन, रायपुर के पक्ष में भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः माननीय कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

22/03/18

Encl-08

23

कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने वाले टीप

विषय– **मूल विज्ञान केंद्र हेतु** Chemicals/Plasticwares/Glasswares/Equipments/ Instruments **क्रय किये जाने की स्वीकृति हेतु।**

मूल विज्ञान केंद्र के जीवविज्ञान, रसायन, व भौतिकी प्रयोगशाला के प्रायोगिक कार्य हेतु Chemicals/Plasticwares/Glasswares/Equipments/Instruments का क्रय किया जाना है, जिसके लिए अनुमानित लागत रू. 20,17,925/– है, विकास विभाग के पत्र क्र.56/विकास/2017, दिनांक 15/03/2017 के संदर्भ में इन Chemicals/Plasticwares /Glasswares/Equipments/Instruments के क्रय हेतु DPC व CPC की आवश्यकता नहीं है, अतः इन सामग्रीयों के क्रय हेतु प्रशासनिक स्वीकृति पश्चात् संबंधित फर्मों को कार्यादेश दिये जाने के पूर्व अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

21/3/18
संचालक

DIRECTOR
Center for Basic Sciences
Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur (C. G.) 492 010

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :–**CBS के फिजिक्स लैब के लिये इंस्ट्रूमेंट सामग्री क्रय** किये **जाने के संबंध में।**

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा संचालित सेंटर बेसीक साइंस के लिये संचालक सीबीएस द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार फिजिक्स लैब के लिये इंस्ट्रूमेंट सामग्री का क्रय किया जाना है।

इस्ट्रुमेंट सामग्री क्रय करने के लिये नस्ती को वित्त विभाग से परीक्षण कराया गया है। वित्त विभाग द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुरूप फिजिक्स लैब के लिये इंस्ट्रूमेंट सामग्री क्रय हेतु रू.22,64,491=00 व्यय हेतु प्रस्तावित किया गया है। अतः सीबीएस के फिजिक्स लैब के लिये इंस्ट्रूमेंट सामग्री छ.ग. शासन के भण्डार क्रय नियम के अनुसार निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

23-3-18

23/3/18

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

25

विषय :–**CBS** के लिये फर्नीचर क्रय किये जाने के संबंध में।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा संचालित सेंटर बेसीक साइंस के लिये विभिन्न प्रकार के अलग–अलग फर्नीचर सामग्री का क्रय किया जाना है।

सीबीएस के लिये फर्नीचर सामग्री क्रय करने के लिये नस्ती को वित्त विभाग से परीक्षण कराया गया है। वित्त विभाग द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुरूप फर्नीचर सामग्री क्रय हेतु रू.12,54,458=00 व्यय हेतु प्रस्तावित किया गया है। अतः सीबीएस के लिये छ.ग. शासन के भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार निविदा अथवा Government e-marketing (Gem) के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

23-3-18

23/3/18

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

26

विषय :–भौतिकी अ.शा. के लिये कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस, प्रोजेक्टर आदि सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के भौतिकी अ.शा. के लिये D.S.T. Fist Programme के अन्तर्गत द्वितीय किश्त में प्राप्त राशि रू.42,33,307=00 में से रू.10 लाख कम्प्यूटर एवं अन्य के लिये आबंटित है।

रू.10 लाख से कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री Government e-marketing (Gem) के माध्यम से क्रय करने हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री Government e-marketing (Gem) के माध्यम से क्रय करने के लिये DPC & CPC के द्वारा अनुशंसा किया गया है। उपरोक्त सामग्री क्रय करने पर अनुमानित व्यय रू.7,86,948=00 होने का उल्लेख विभागाध्यक्ष, भौतिकी अ.शा. द्वारा किया गया है साथ ही D.S.T. Fist Programme के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय मार्च 2018 के पूर्व किया जाने का उल्लेख किया है।

अतः उपरोक्त सामग्री छ.ग. शासन के भण्डार क्रय नियम के अनुसार Government e-marketing (Gem) के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

23-3-18

23/3/18

प्रति,

कुलपति एवं अध्यक्ष कार्यपरिषद्
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

विषयः– स्वर्ण पदक के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि मेरे द्वारा अपने स्वर्गीय पुत्र डॉ. प्रदीप पाण्डेय की स्मृति में DR. PRADEEP PANDEY MEMORIAL GOLD METAL सत्र 2010–11 से पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा M.B.B.S. Final Surgery की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले (60 प्रतिशत से कम न हो) को प्रदान करने हेतु दान दिया गया था।

इसी प्रकार मेरे द्वारा स्वर्गीय (श्रीमती) करूणा पाण्डेय की स्मृति में LATE (SMT.) KARUNA PANDEY GOLD METAL सत्र 2011–12 से पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा B.A.M.S. Prasuti Tantra and Stri Rog की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को प्रदान करने हेतु दान दिया गया था।

चूंकि छत्तीसगढ़ में पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की स्थापना के बाद से उक्त दोनों ही परीक्षाएं पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा संपन्न की जा रही है।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त दोनों गोल्ड मेडल पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर को स्थानांतरित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– अधिसूचना की छायाप्रति।

प्रार्थी

(डॉ. महादेव प्रसाद पाण्डेय)
आजाद चौक, ब्राम्हण पारा,
रायपुर (छ.ग.)

कुलपति सचिवालय
आवक क्र. 1519
दि. 19-3-18
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय

क्रमांक 3961 /अका./2011

रायपुर, दिनांक 30/06/2011

।। अधिसूचना ।।

दानदाता डॉ. महादेव प्रसाद पाण्डेय के द्वारा अपने स्वर्गीय पुत्र डॉ. प्रदीप पाण्डेय की स्मृति में, स्वर्ण पदक की स्थापना से संबंधित विनियम को, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.06.2011 में, अनुमोदित किया गया है। यह स्वर्ण पदक सत्र 2010–11 से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में पात्र अभ्यर्थी को आगामी स्वर्ण पदक अलंकरण समारोह या दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा। विनियम क्रमांक की स्थापना निम्नानुसार की गई है –

Regulation No. 132
(E.C. Under - 04-06-2011)

DR. PRADEEP PANDEY MEMORIAL GOLD MEDAL

Doner	-	Dr. Mahadeo Prasad Pandey Brahman Para, Raipur (C.G.) Mob. No. - 93005-32060
Value of Endowment	-	Rs. 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand Only)
Award	-	One Gold Medal

1. The Endowment shall be called "Dr. Pradeep Pandey Memorial, Gold Medal" and it shall be inscribed on one side of the Medal.
2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the examinee securing highest aggregate marks but not lower than 60% of total aggregate marks of M.B.B.S. Final Surgery Examination in first attempt.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, such an examinee who is younger or youngest in age, shall be awarded gold medal.
4. The award of Gold Medal shall commence for M.B.B.S. Final Surgery examination 2011.

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

कुलसचिव

क्रमांक 3962 /अका./2011

रायपुर, दिनांक 30/06/2011

प्रतिलिपि :

01. डॉ. महादेव प्रसाद पाण्डेय, ब्राम्हण पारा, रायपुर (छ.ग.)
02. प्राचार्य, संबंधित समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
03. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
04. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/वि.क.अ. विकास/प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन,
05. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

D:/shi 06/tikaram08/197

क्रमांक 9489 /अका./2013 रायपुर, दिनांक 07-02-2013

।। अधिसूचना ।।

दानदाता– पद्मश्री डॉ. महादेव प्रसाद पाण्डेय के द्वारा स्वर्गीय **स्व. (श्रीमती) करूणा पाण्डेय** की स्मृति में, स्वर्ण पदक की स्थापना से संबंधित विनियम को, विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2013 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.01.2013 में, अनुमोदित किया गया है। यह स्वर्ण पदक सत्र 2011–12 से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित **B.A.M.S. - Prasuti Tantra and Stri Rog (प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग)** की परीक्षा में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पात्र अभ्यर्थी को आगामी स्वर्ण पदक अलंकरण समारोह या दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा। विनियम क्रमांक 142 की स्थापना निम्नानुसार की गई है –

Regulation No. - 142
(E.C. Under 24-01-2013)
LATE (SMT.) KARUNA PANDEY

Donor	-	Padmshri Dr. Mahadev Prasad Pandey Aajad Chowk, Brahman Para, Raipur (C.G.) Mob. No. - ....
Value of Endowment	-	Rs. 60,000.00 (Rs. Sixty Thousand Only) B.No./R.No. 3848/50 Dated- 17-12-2012
Award	-	One Gold Medal

1. The Endowment shall be called "Late (Smt.) Karuna Pandey Gold Medal" and it shall be inscribed on one side of the Medal.
2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the Student who secures highest percentage of marks in **B.A.M.S. - Prasuti Tantra and Stri Rog (प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग)** Examination of the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, provided that the candidate has passed the examination in the first attempt.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, such an examinee who is younger or youngest in age, shall be awarded the medal.
4. The award of Gold Medal shall be effective from examination 2012.

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक 9490 /अका./2013 रायपुर, दिनांक 07-02-2013

प्रतिलिपि :

01 पद्मश्री डॉ. महादेव प्रसाद पाण्डेय, आजाद चौक, ब्राम्हण पारा, रायपुर (छ.ग.)

02. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध संबंधित महाविद्यालय, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

03. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,

04. सं.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/वि.क.अ. विकास/प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन,

05. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7/2/13

प्रभारी अधिकारी (अका.)

D:/ shi 08/tikaram08/438

REGULATION

(Under Section 40 of the M.P. Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973)

Regulation No.	Name of Regulation	Course	Subject	Amount	EC Date
5	Dr. G.S. Sharma Gold Medal	M.B.B.S. Second	Pathology	3000	20/11/1965
6	Rai Bahadur Dr. G.R. Goverdhan Gold Medal (To propetuate the memory of late Rao Bahadur Dr. G.R. Goverdhan, ex-civil surgeon)	M.B.B.S. Final	Surgery	2500	03/01/1967
7	Anatomical Association Gold Medal	M.B.B.S. First	Anatomy	2500	18/11/1967
8	Dr. Sarwan Dubey Gold Medal	M.B.B.S. Final	Medicine	2500	03/07/1968
9	Dr. G.P. Shrivastava Gold Medal	M.B.B.S. Final	Toper in MBBS Final in First Attempt	2500	03/07/1968
10	Dr. Pravinchandra Sarabhai Gold Medal	M.B.B.S. Final	Opthalmology	2500	03/07/1968
11	Dr. Subhalakshmi Gold Medal	M.B.B.S. Final	Obstetrics and Gynaecology	2500	03/07/1968
12	Dr. Trimbak Madhav Dabke Gold Medal	M.B.B.S. Three	Highest marks in the Aggregate of all three MBBS	2500	03/07/1968
13	Late. Shrimati Jadiya Devi Agrawal Memorial Gold Medal (To propetuate the memory of late (Smt. Jadiya Devi)	M.B.B.S. Final	Girl Examinee securing the highest marks at the Final MBBS in first Attempt	2500	06/07/1969
14	Dr. Sahu Gold Medal	M.B.B.S. First	Physiology	2500	06/07/1969
15	Dr. Dinkar Bhaskar Rajimwale Gold Medal	M.B.B.S. Second	Preventive and Social Medicine	2500	06/07/1969
16	Dr. L.S. Virdi Gold Medal	M.B.B.S. Second	Pharmacology	2500	06/07/1969
27	Shri Shambhoo Sharan Bajpai Gold Medal	M.B.B.S. Second	Rensic Medicals and Toxicology	2500	31/07/1974

39	Late. Smt. Pramila Sadashiv Chaudhary Gold Medal	M.B.B.S. Final	Girl Examinee highest marks in Surgery	2500	28/12/1977
58	Shri Ramnarayanji Sharma, Founder, Managing Director, of Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Ltd. Medal	B.A.M.S. Final	Highest Marks	2750	06/03/1982
66	Late Dr. Tretanath Tiwari Memorial Medal	B.A.M.S. Final	Medicine (Kaya Chikitsa)	2500+250	08/10/1984
67	Retd. P.P. Dr. J.P. Sahu Memorial Medal	M.B.B.S. First	Bio-Chemistry	2500+250	08/10/1984
70	Dr. T.C. Chaudhary Memorial Medal	All deploma Examination in Medical	Highest Marks	2500+250	24/06/1985
77	Late Dr. Harshul Mishra Memorial Medal	B.A.M.S. 4th Year	Prasuti Tantra	2500+250	06/07/1987
79	Shri Jethmal Chandak Gold Medal	M.B.B.S. First	Highest Marks	2500+250	12/10/1988
83	Late Dr. Tulasi Prasad Tiwari Gold Medal	M.B.B.S. Final	Community Medicine (Part-I Examination)	2500	23/03/1991
85	Late Dr. R.N. Atre, Gold Medal	M.B.B.S. Final		15000	01/06/1991
92	6th ACC Prize Endowment of AOI' for M.S. (ENT) First	M.S. (ENT)	प्रथम स्थान	15000	17/10/1994
132	DR. PRADEEP PANDEY MEMORIAL GOLD MEDAL	M.B.B.S. Final	Surgery	50000	04/06/2011
142	LATE (SMT.) KARUNA PANDEY	B.A.M.S.	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	60000	24/01/2013

REGULATION

(Under Section 40 of the M.P. Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973)

Regulation No.	Name of Regulation	Course	Subject	Amount	EC Date
48	Late Smt. Kamalaben Chitalia Memorial Medal	B.E. Final	Chemical Engineering Branch	2500	06/10/1979
50	Somesh Chandra Tiwari Medal	B.E. Fourth Year	Mechanical Branch	2500	09/02/1980
59	Smt. Anjani Devi Shrivastava Medal	M.Tech. Final	Highest Marks	2500+250	24/12/1982
64	Late E. S.D. Sharma Memorial Medal	B.E. Final	Civil	2500+250	08/10/1984
69	Late Dinesh Taori Memorial Medal	B.E. Final	Chemical Engineering	2500+250	21/05/1985
71	Late Smt. Kamalaben Chitalia Memorial Medal	B.E. Final	Chemicle Engineering	2500+250	02/09/1985

REGULATION

(Under Section 40 of the M.P. Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973)

Regulation No.	Name of Regulation	Course	Subject	Amount	EC Date
47	Daily Nava Bharat Gold Medal	Bachelor of Journalism	Examinee Securing the Highest Marks in the first Division	2500	06/10/1979